राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत बख्ताना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

A10

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 293/2014

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – **वादी**

–:: बनाम ::–

1. रामकृष्ण पुत्र मामराज जाति कुम्हार साकिन चक 7 ई छोटी श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. परौकार राज वादी
2. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– **06.06.2017**

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी रामकृष्ण पुत्र मामराज साकिन चक 7 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के नाम चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 1/.240, 2 ता 4/.759, 6 ता 9/1.012, 11/1= 0.038, 12/.190 कुल 2.479 हैक्टर रकबा खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि में मुरब्बा चक 7 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के नाम चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 1/.240, 2 ता 4/.759, 6 ता 9/1.012, 11/1 = 0.038, 12/.190 कुल 2.479 हैक्टर रकबे का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के बनाकर कालोनी काटकर अकृषि कार्य किया जा रहा है।

उक्त आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

अतः उक्त भूमि चक 7 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के नाम चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 1/.240, 2 ता 4/.759, 6 ता 9/1.012, 11/1= 0.038, 12/.190 कुल 2.479 हैक्टर रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 4 एम.एल. अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 2

वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी की और से श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता उपस्थित आये अनेक अवसर दिये जानें के उपरान्त भ जबाब नहीं दिये जानें पर जबाब बन्द किया गया तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार वाद में वर्णित भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। मौके पर उक्त रकबा में पक्की सड़के बनाकर कालोनी काटकर मकान बनाये हुए है।

पैरोकार राज तथा वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रतिवादीगण द्वारा वाद में वर्णित भूमि के रूपान्तरण सम्बंधी कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये जानें पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 7 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के नाम चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 1/.240, 2 ता 4/.759, 6 ता 9/1.012, 11/1= 0.038, 12/.190 कुल 2.479 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (रकबा राज) घोषित की जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 06.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बख्ताना में मजमे आम सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर